



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,

कोलकाता-700 001

दिनांक : 29.01.2025

कार्यालय जापन सं.10/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने अपने सेवारत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के साथ-साथ पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों को सीजीएसएस दरों के अंतर्गत इनडोर/ आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोलकाता और हावड़ा में स्थित निम्नलिखित अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की है:-

1.	देसन अस्पताल, कोलकाता
2.	आमरी (मणिपाल) अस्पताल, ढाकुरिया, मुकुंदपुर और साल्टलेक, कोलकाता
3.	कोठारी मेडिकल सेंटर, कोलकाता
4.	ए.एम. मेडिकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (डे केयर/अस्पताल), कोलकाता
5.	रूबी जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
6.	दिशा आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (सभी शाखाएँ)
7.	बी.पी. पोद्दार हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च लिमिटेड, कोलकाता
8.	सुश्रुत आई फाउंडेशन एवं रिसर्च सेंटर, कोलकाता
9.	एडीएस अस्पताल, हावड़ा
10.	रेनेसंस अस्पताल, कोलकाता

उपर्युक्त अस्पताल, टी बोर्ड के सेवारत कर्मचारियों एवं उनके वैध आश्रितों के लिए नकद भुगतान पर ओपीडी उपचार सहित आईपीडी उपचार के लिए कैशलेस सुविधाएं प्रदान करेंगे, साथ ही पेंशनभोगियों एवं उनके वैध आश्रितों के संबंध में नकद भुगतान पर आईपीडी और ओपीडी उपचार के लिए दृश्यमान फोटोग्राफ के साथ सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुविधा प्रदान करेंगे।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

प्रति:-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	कृपया इस कार्यालय जापन की विषय- वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी संबंधितों के समक्ष लाने के अनुरोध सहित।
2.	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	लेखा अधिकारी (प्रभारी) (ज.अ.गो/त.मु)	
5.	टी बोर्ड पेंशनर संगठन	कृपया इस कार्यालय जापन की विषय-वस्तु को अपने सभी सदस्यों के बीच परिचालित करें।
6.	उपाध्यक्ष के सचिव/ निजी सहायक	
7.	आई.टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8.	टीबीईए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

फा.सं. 22(1)/स्था/चिकि/2020